



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकम)

शतित भत्ता, 14-अषोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 982 काविनी एवं वे०प्र०-२९ / पाकालि / 2010-०७ काविनी एवं वे०प्र०/०९ दिनांक ०६ अगस्त, २०१०

समस्त मुख्य अभियंता (सतर-१ एवं ११),

समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,

समस्त अधीकारी अभियंता,

समस्त उप महाप्रबन्धक,

उपर्युक्त पावर कारपोरेशन लिं.

विषय:- उपर्युक्त पावर कारपोरेशन एवं उसकी वितरण कम्पनियों के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित किये जा चुके हैं, को दिनांक 01 जनवरी, 2010 से बढ़ी हुई दर पर महगाई भत्ते का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या 55-काविनी एवं वे०प्र०-२९ / पाकालि / ०८-१७-काविनी एवं वे०प्र०/०८ दिनांक 20 जनवरी, 2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश है कि दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में कारपोरेशन के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2010 से निमानुसार बढ़ी हुई दर पर महगाई भत्ता अनुमन्य होगा :-

तिथि जब से देय है	महगाई भत्ते की मासिक दर
01 जनवरी, 2010	मूल वेतन का ३५ प्रतिशत

2. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन तथा अनुमन्य ग्रेड वेतन के योग से होगा, किन्तु नियमित वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा, परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

3. महगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-९ (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

4. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएं चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु या सेवा-मुवत करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

(क्रमशः - 2)

२०१०

(2)

5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2010 एवं अग्रेतर भुगतान/अवशेषों की देयता की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाएगी :-

I. दिनांक 01 जनवरी, 2010 से दिनांक 31 जुलाई, 2010 तक की महंगाई भत्ते की देय अवशेष धनराशि, अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 अगस्त, 2010 से जमा माना जायेगा और इसी तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 जुलाई, 2011 तक सम्पन्नित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व निकाला नहीं जा सकेगा।

II. यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है, तो उसे, उक्त अवशेष धनराशि, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अशा का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।

III. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी, 2010 से इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते की बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

IV. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 अगस्त, 2010 (माह अगस्त, 2010 का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर, 2010 को देय) से नकद किया जायेगा।

7. उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उप मठाप्रबंधक (लेखा) द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अवदीय,
उम्ही. स्ट्रीट ८
(मो० राशिद)

सलाहकार (कापिली)


रामेश्वर

(कमश -3)

सं० ९८२-(१) काविनी एवं वे०प्र०-२९/पाकालि/२०१० – तददिनांकित ०६ अगस्त, २०१०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ऐषित :-

१. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा० का० लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
२. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/ उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
३. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
४. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
५. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
६. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
७. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
८. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
९. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, बी-१७, जे० रोड, महानगर, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
१०. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
११. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
१२. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/ क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
१३. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
१४. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा द्वे

 (मो० राकेश)
 सलाहकार (काविनी)
